47 III / निग० / सतना / भू-रा० / 2017 / 4005

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा जिला रीवा म०प्र०

Rs-30/-

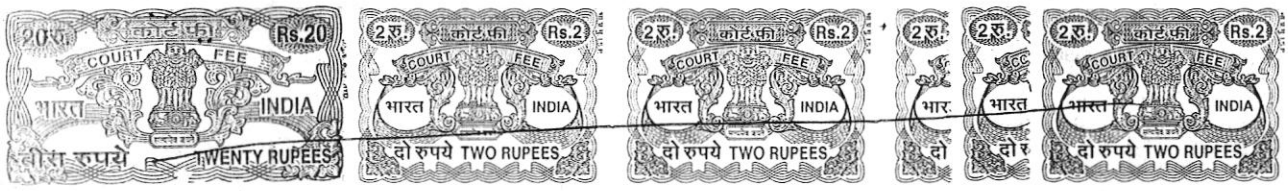

रामविश्वास पिता पंचा काछी उम्र 58 साल साकिन दुरेहा तहसील नागौद
जिला सतना म०प्र० ...... निगरांकार

बनाम

1- रामदास कुशवाहा पिता रामसनेही कुशवाहा ग्राम दुरेहा तहसील नागौद
जिला सतना म०प्र०

2- शासन म०प्र० .... गैर निगरांकार गण

अधि० श्री ब्रजराम विश्वकर्मा
प्रस्तुत 26.10.17

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध रा० नि० मं० वृत्त जसो तहसील
नागौद जिला सतना म०प्र० रा० प्र० क्र० 5/अ/12/
2016-17 आदेश दिनांक 7.7.2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू० राजस्व
संहिता 1959 ई०

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरांकार को निगरानी के आधार निम्न है

- - - - - - - - - - - - - - - -

संक्षिप्त तथ्य :- यह कि गैर निगरांकार द्वारा साकिन दुरेहा पटवारी हल्का दुरेहा ज० नं० 72 तहसील नागौद जिला सतना म०प्र० की आराजी नम्बर 1014/2 रकबा 0.209 के सीमांकन हेतु म०प्र० भू० राजस्व संहिता 1959 ई की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया प्रकरण पंजीबद्ध कर हल्का पटवारी सूचित हो प्रकरण सीमांकन हेतु दिनांक 21.6.2017 को सूचना जारी कर दिनांक 22.6.2017 को सीमांकन किया जाना प्रस्तावित किया गया राजस्व निरीक्षक वृत्त जसो के आदेशानुसार ग्राम दुरेहा की आराजी नं० 1014/2 का सीमांकन आवेदक / गैर निगरांकार के आवेदन पत्र पर पूर्व सूचना मुताबिक हल्का पटवारी शाहपुर हल्का पटवारी दतुनहा के सहयोग से आवेदक / गैर निगरांकार के सरहद्दी

क्र...

निशा० रामविश्वास काछी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / सतना / भू.रा. / 2017 / 4005

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकें आदि के हस्ताक्षर
07-03-2018	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त जसो तहसील नागौद जिला सतना के प्रकरण कमांक 51 अ 12 / 16–17 में पारित आदेश दिनाक 7–9–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण ने ग्राम दुरेहा की आराजी कमांक 1014 / 2 के सीमांकन की मांग की, जिस पर राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण कमांक कमांक 51 अ 12 / 16–17 पॅजीबद्व किया तथा सीमांकन की मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी कराई। राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी दुरेहा, पटवारी शाहपुर, पटवारी तदुनहा के दल के साथ दिनांक 22–6–17 को मौके पर जाकर सीमांकन कार्यवाही की, पंचनामा तैयार किया । राजस्व निरीक्षक ने आपत्तिकर्ता को सुनकर आदेश दिनांक 7–9–17 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी ने आवेदक को सूचना दिये बिना अनावदेक से मिलकर गलत तरीके से सीमांकन किया है एंव मौके की स्थिति के मान से सीमांकन नहीं किया है। अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित हुई है । आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि सीमांकित भूमि अनावेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर शासकीय अअभिलेख में दर्ज है जिसके सीमांकन	

कराने के वह अधिकारी हैं। यदि आवेदक स्वयं की भूमि को अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से प्रभावित होना मानता हैं, तब वह आर.आई. से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख अथवा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 7–9–17 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य